

प्रेषिका,

प्रीति श्रीवास्तव-III,
अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष सं०-1, मिर्जापुर।

सेवा में,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
मिर्जापुर।


महोदय,

ससम्मानपूर्वक महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण टिप्पणी में न्यायालय कक्ष में अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में मांगी गई आख्या पर निवेदन के साथ कहना है कि मैं निरीक्षण तिथि पर न्यायालय समय पर उपस्थित आयी थी। उक्त तिथि दि० 22.3.2022 को नव चयनित पी.सी.एस. आफिसर (ट्रेनी आफिसर) श्री अभिनीत कुमार डिप्टी कलेक्टर (प्रोवेशनर) की मेरे साथ महोदय के आदेश दि० 15.3.2022 से ट्रेनिंग भी लगी थी। मैं उक्त आफिसर के साथ न्यायालय में समय पर 10.30 ए.एम. पर बैठ गई थी और कई पत्रावलियों में मेरे द्वारा पुकार लगवाया गया। मेरे द्वारा प्रथमतः प्राथमिकता के आधार पर जेल में निरूद्ध बंदियों की पत्रावलियों ही देखी जाती हैं, जिसमें सरकार बनाम सुनील गिरी की पत्रावली मेरे सामने आयी, जिसमें गवाह भी आया था, किन्तु पुकार के बाद सम्बन्धित अधिवक्ता महोदय द्वारा आने पर कन्डोलेंस का प्रस्ताव आने के कारण जिरह से इन्कार किया गया और समय हेतु याचना की गयी और अन्य कई अधिवक्ता द्वारा भी इसी आधार पर कार्य न करने तथा समय देने की याचना की गयी। कन्डोलेंस प्रस्ताव को देखते हुए तथा इसी तिथि पर एक पत्रावली सरकार बनाम खेलावन सोनकर जो निर्णय में नियत थी तथा इसमें मुझे डिक्टेसन देना था। अतः अपने रीडर/पेशकार को आवश्यक आदेश/निर्देश देकर मैं विश्राम कक्ष में आ गई तथा निर्णय लिखाने लगी। निर्णय लिखाने के बाद पुनः मैं लगभग 12.15 पी.एम. पर न्यायालय कक्ष में उपस्थित हो गई थी। मेरे द्वारा शेष आवश्यक कार्य किया गया एवं निर्णय भी सुनाया गया।

आख्या सादर प्रेषित।

भवदीया,

दिनांक-07.5.2022


(प्रीति श्रीवास्तव-III)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष सं०-1, मिर्जापुर।

Recd
07-5-2022